न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/27/2025	2025/185	22.05.2025	30.05.2025

1. लखन पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0 कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 515 निर्णय दिनांक 14.10.2022 तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री अमरचन्द चौधरी –वकील अपी0

02–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार कठूमर निर्णय दिनांक 14.10.2022 नामान्तकरण संख्या 515 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। रेस्पाडेन्ट तहसीलदार (भू०अ०) कठूमर जिला अलवर राज. द्वारा उक्त आज्ञा दिनांक 14–10–2022 को मिन अपीलान्ट के पीछे से पारित कर नामांतकरण (बय) संख्या 515 वाके ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर जिला अलवर स्वीकार किया गया है जिसमे मिन अपीलान्टा की जाति "जाट" के स्थान पर "गुर्जर अंकत की गई है, जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 07–05–2025 को हुई जबकि मिन अपीलान्टा द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में मिन अपीलांटा की जाति "जाट" के स्थान पर "गुर्जर" अंकित होना बताया जिस पर मिन अपीलान्टा द्वारा उसी दिन नामांतकरण की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 08–05–2025 को प्राप्त हुई। उसके उपरांत अपीलान्टा द्वारा वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने तुरन्त यह अपील पेश करने की सलाह दी। इस प्रकार अपील जानकारी की तारीख दिनांक 07–05–2025 से अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है तथा आज्ञा दिनांक 14–10–2022 से जानकारी की तारीख दिनांक 07–05–2025 तक का समय धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने योग्य कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.4000 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा 83 रकबा 0.2900 हैक्टेयर का 5/29 हिस्सा वाके ग्राम बूलाहेडी को खातेदार श्रीमति नारंगी पत्नी रूपसिंह से अपीलान्ट द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 24–08–2022 को क्रय की गई थी। मिन अपीलान्टा की जाति "जाट" है जो कि बयनामा में स्पष्ट अंकित है। किन्तु उक्त बयनामा के आधार पर स्वीककृत किये गये नामांतकरण संख्या 515 में मिन अपीलान्टा की जाति "जाट" के स्थान पर सहबन से "गुर्जर" अंकित कर दी गई है। उक्त नामांतकरण दर्ज व स्वीकार करते समय बयनामा का सही रूप से अवलोकन नही किया गया है और ना ही मिन अपीलान्टा को नामांतकरण दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व तलब किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। उक्त नामांतकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपीलान्टा की जाति "जाट" के स्थान पर "गुर्जर" अंकित की गई है जिससे मिन अपीलान्ट के हकूक जायल हो रहे है तथ मिन अपीलान्टा सरकार से मिलने वाली सहायता से महरूम हो रही है। इसलिए उक्त नामांतकरण को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामांतकरण (बय) संख्या 515 वाके ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर दिनांक 14.10.2022 में अपीलान्टा की अंकित जाति "गुर्जर" के स्थान पर वास्तविक जाति मुताबिक बयनामा "जाट" अंकित कराये जाने की आज्ञा पारित की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि नामान्तकरण संख्या 515 वाके ग्राम बूलाहेडी तहसील कठूमर जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट की जाति जाट के स्थान पर गुर्जर सहवन दर्ज हुआ है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2022 के विरूद्व दिनांक 22.05.2025 को पेश की गयी है जो करीब 2 साल 07 माह 08 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 515 दिनांक 14.10.2022 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पंजीकृत बयनामे के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.4000 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा 83 रकबा 0.2900 हैक्टेयर का 5/29 हिस्सा वाके ग्राम बूलाहेडी को खातेदार श्रीमति नारंगी पत्नी रूपसिंह से अपीलान्ट लखन पत्नी महेन्द्र द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.08.2022 को क्रय की गई। अपीलान्टा की जाति "जाट" है जो कि अपीलाण्ट के आधार कार्ड एवं पंजीकृत बयनामा में स्पष्ट रूप से अंकित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय उक्त बयनामा के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतकरण संख्या 515 में अपीलान्टा की जाति "जाट" के स्थान पर सहबन से "गुर्जर" अंकित कर दी गई है, जो एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर का आदेश इन्तकाल सं0 515 दिनांक 14.10.2022 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि आधार कार्ड एवं पंजीबद्ध बयनामे के अनुसार अपीलाण्ट की जाति ''गुर्जर'' के स्थान पर ''जाट'' अंकित कर नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)